



2026:AHC-LKO:7745-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी सं. - 12299/2025

मेसर्स आर.के. इंजीनियर सर्विसेज,
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मनीषा सिंह के माध्यम से

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	महेश चन्द्र श्रीवास्तव
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. सुना गया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना की है:-

"क. प्रतिवादी संख्या 4 (वरिष्ठ शाखा प्रबंधक) और उसके संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता के चालू खाता संख्या 77320200000674 को तत्काल सक्रिय और फिर से चालू करने तथा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेशन पूरा करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ख. प्रतिवादियों और उनके संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता के खाते से जुड़ी सभी एफडीआर राशियों को बिना किसी देरी के जमा करने का आदेश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

ग. प्रतिवादी बैंक और उसके संबंधित अधिकारियों को यह घोषित करने का निर्देश देते हुए 'परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि जीएसटी स्थिति एक अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज नहीं है और प्रतिवादी केवाईसी अपडेशन के लिए जीएसटी प्रमाणपत्र पर जोर नहीं दे सकते।

घ. प्रतिवादी बैंक और उसके संबंधित अधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 3 (सीवीओ) को निर्देश देने हेतु 'परमादेश प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि अवैध परितोषण की मांग करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए।

ङ. प्रतिवादी बैंक और उसके संबंधित अधिकारियों को बिना किसी उत्पीड़न के खाते के सुचारु संचालन की अनुमति देने का निर्देश देते हुए 'परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. विपक्षी बैंक द्वारा याचिकाकर्ता के चालू खाते को कथित तौर पर अवैध रूप से निष्क्रिय घोषित कर दिया गया था।

4. पूछे जाने पर, बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि बैंक खाते को सक्रिय करने के लिए याचिकाकर्ता को फिर से केवाईसी जमा करना आवश्यक था, जो हालांकि जमा किया गया था लेकिन दोषपूर्ण था। केवाईसी के साथ जमा किए गए पते के प्रमाण का सत्यापन करते समय पाया गया कि जीएसटी पंजीकरण, जो पते का प्रमाण था, पहले ही रद्द कर दिया गया था, इसलिए उसे फिर से किराया समझौता, बिजली बिल या बैंक के लिए स्वीकार्य कोई अन्य प्रमाण जमा करना आवश्यक है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. याचिकाकर्ता आवश्यक कार्रवाई करे या यदि फिर भी वह व्यथित है, तो वह उपभोक्ता फोरम आदि जैसे अन्य उपचारों का सहारा ले सकता है।

6. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राय)

2 फरवरी, 2026

प्रवीण

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।